

सं.16 (72)/2005-स्तआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

(स्तआर अनुभाग)

....

उद्योग भवन, नई दिल्ली दिनांक : 13 दिसम्बर 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायर तथा ट्यूब गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009 के संबंध में

स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायर तथा ट्यूब गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009 को इस विभाग द्वारा 19.11.2009 को अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश अब 13.5.2011 से प्रभावित हो गया है। उक्त गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश में निहित उपबंध, सिवाए खंड 3 (क) से 3 (च) के, उन न्यूमेटिक टायर और ट्यूबों के लिए लागू हैं जिनके लिए गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009 की अनुसूची में यथा निहित बीआईएस मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009 के तहत निम्नलिखित प्रकार के टायर शामिल नहीं हैं: -

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

वाणिज्यिक वाहनों के टायर कुछ प्रकार के टायर जिन्हें 80 कि. मी./घंटा से नीचे की गति संकेतों

द्वारा चिन्हित किया जाता है और गति संकेतों जैसे A (A1 से A8), B, C, D अथवा E से चिन्हित किया जाता है।

सड़क के अलावा दूसरे स्थानों पर चलने वाले टायर सड़क से हटकर दूसरे स्थानों पर चलने वाले वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले विशेष टायर जिन पर टायर ट्रेड कोड की मार्किंग होती है जैसे कि C(C1, C2), E(E1 से E4, E7), G (G1 से G4), L(L2 से L5, L3S से LSS), IND अथवा NHS.

रन फ्लैट टायर - RF अथवा इसी प्रकार की मार्किंग वाले टायर जिन पर होता है।

कोलेप्सीबल मिनी टायर ।

तदनुसार, उपर्युक्त टायर उक्त गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009 के उपबंधों से मुक्त हैं।

संलग्नक : यथोपरि
का संकेत बना

ДЕВТИ

1.
उपभोक्ता मामले विभाग
(श्री अशोक जैन, निदेशक (बीआईएस))
कृषि भवन, नई दिल्ली
फैक्स सं. 011-23386322
(बाबू लाल) निदेशक
दूरभाष सं. 23063212

3

निदेशक (सीमा शुल्क)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व विभाग, द्वितीय तल,

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

महानिदेशक विदेश व्यापार,

(सुश्री शुभा, संयुक्त डीजीएफटी),

वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन,

फैक्स सं. **011-23232661**

4.

भारतीय मानक ब्यूरो

5

6.

7.

8.

9

(ध्यानार्थ: श्री शरद गुप्ता, महानिदेशक),
मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
फैक्स सं. 011-23235414

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(श्री आनंद प्रकाश, निदेशक),
कमरा संख्या 531, परिवहन भवन,
1, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 1

आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए)
(श्री राजीव बुद्धराजा, महानिदेशक),
पीएचडी हाउस, (चौथा तल), एशियन गेम्स विलेज के सामने,
सीरी फोर्ट, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली- ।

सोसाइटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएम),
(श्री के. के. गांधी, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी),
कोर 4- बी, पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोदी रोड, नई दिल्ली

110003

ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन,
(श्री एस. पी. सिंह, संयोजक),
865/32, गुरु नानक हाउस, एस.पी. मुखर्जी मार्ग,
नई दिल्ली - 110006

इंडिया टायर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी (आईटीटीएसी),
(श्री टी. चक्रवर्ती, महासचिव),
पीएचडी हाउस (चौथा तल),
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली

110016.

6

No. 16(72)/2005-LR Government of India

Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy & Promotion

(LR Section)

Udyog Bhawan, New Delhi Dated: 13th December, 2011.

Subject:

OFFICE MEMORANDUM

Quality (Control) Order, 2009 for Pneumatic tyres and Tubes for Automotive Vehicles - clarifications regarding.

The undersigned is directed to say that a Quality (Control) Order, 2009 for Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles was notified by this Department on 19.11.2009. The said Order has now come into effect w.e.f. 13.05.2011. The provisions contained in the said Quality (Control) Order, except the requisite exemptions provided under Clauses 3 (a) to 3(f), are applicable to such pneumatic tyres and tubes for which BIS standards as contained in the Schedule to the Quality (Control) Order, 2009 have been prescribed. It is further clarified that the following types of tyres are not covered under the said Quality (Control) Order, 2009 -

(0)

(11)

Commercial Vehicle Tyres - Certain types of tyres identified by Speed Symbols corresponding to speed below 80 km/h marked with Speed Symbols as A (A1 to A8), B, C, D or E.

Off The Road Tyres - The specific type of tyres used for Off The Road (OTR) vehicles carrying Tyre Tread Code marking such as C(C1, C2), E(E1 to E4, E7), G(G1 to G4), L(L2 to L5, L3S to L5S), IND or NHS.

Run Flat Tyres - Tyres marked RF or similar marking and carrying the Symbol

(iv)

Collapsible Mini Tyres

Accordingly, the above tyres are exempt from the provisions of the said Quality (Control) Order, 2009.

Department of Consumer Affairs, (Shri Ashok Jain, Director (**BIS**),
Krishi Bhavan, New **Delhi** **FAX No.** : 011-23386322
(**BABU LAL**) Director
Tele No. 23063212

2.
Director (Customs).
-2-

Central Board of Excise & Customs, Department of **Revenue**, 2nd Floor, North **Block**, New **Delhi**.

Director General of **Foreign Trade**

3

(**Ms. Shubhra**, Joint **DGFT**),

4.

5.

6.

7.

8.

Department of Commerce,
Udyog Bhawan, New Delhi.
FAX No.011-23232661

Bureau of Indian Standards
(Kind Attn: Shri Sharad Gupta, Director General)
Manak Bhavan,
9 Bahadur Shah Zafar Marg.
New Delhi.
FAX No. 011-23235414

Ministry of Road Transport and Highways.
(Shri Anand Prakash, Director),
Room No. 531. Transport Bhawan,
1, Parliament Street, New Delhi-1

Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA), (Shri Rajiv Budhraja, Director General).
PHD House. (4th Floor), Opp. Asian Games Village.
Siri Fort Institutional Area, New Delhi-110016

Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). (Shri K.K. Gandhi, Executive Director (Tech),
Core 4-B, 5th Floor, India Habitat Centre,
Lodi Road, New Delhi-110003

All India Tyre Dealers Federation,
(Shri S.P. Singh, Convenor),
865/32, Guru Nanak House, S.P. Mukherjee Marg. New Delhi - 110006.

Indian Tyre Technical Advisory Committee (ITTAC).
9.

(Shri T. Chakravarthy, Secretary General),
PHD House (4th Floor).
August Kranti Marg.
New Delhi - 110016.